सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 51/2018 अपील (RCMS/2018/00058)
पंजीयन दिनांक — 25.04.2018
निर्णय दिनांक — 30.10.2018

1. श्री रामेश्वर पिता श्री चम्पालाल सुथार, निवासी अरनियापंथ, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती देऊ बाई पुत्री श्री भगवान सुथार, निवासी हाल अरनियापंथ, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती सोसर बाई पत्नि स्व. श्री भगवान सुथार, निवासी हाल अरनियापंथ, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जिला चित्तौड़गढ़।

— रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री नरेश नणवा — वकील अपीलान्ट
2. श्री आलोक कुमार जैन — वकील रेस्पोडेंटस्—1 व 2

अपील अन्तर्गत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़, प्रकरण संख्या 13/2017 दिनांक 12.04.2018

निर्णय

दिनांक 30.10.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़, प्रकरण संख्या 13/2017 दिनांक 12.04.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अरनियापंथ पटवार हल्का अरनियापंथ की आराजी संख्या 134, 135, 147, 151, 159, 160, 161/1828, 982,

1155 कुल किता 9 रकबा 3.44 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 137, 141/1782, 149, 150, 154, 155/1808, 156/1810, 157, 158, 161, 984 से 986 कुल किता 13 रकबा 3.16 हैक्टेयर में स्वर्गीय भगवान सुथार का पैतृक हिस्सा निहित रहा है। श्री भगवान सुथार की दिनांक 26.11.2012 को मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 के नाम दर्ज हुआ। बाद में अपीलान्ट श्री रामेश्वर द्वारा ने स्वर्गीय मृतक भगवान सुथार के द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर विवादित भूमि अपने नाम दर्ज करने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिससे तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 08.10.2015 से स्वीकार किया जाकर पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त कर विवादित भूमि अपीलान्ट श्री रामेश्वर के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये एवं पालना में नामान्तकरण संख्या 1440 स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश व नामान्तकरण के विरूद्ध रेस्पोडेंटस् संख्या–1 व 2 श्रीमती देऊ बाई एवं श्रीमती सोसर बाई ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ ने निर्णय दिनांक 12.04.2018 से ग्राम अरनियापंथ पटवार हल्का अरनियापंथ की विवादित आराजीयात संख्या 134, 135, 147, 151, 159, 160, 161/1828, 982, 1155 कुल किता 9 रकबा 3.44 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 137, 141/1782, 149, 150, 154, 155/1808, 156/1810, 157, 158, 161, 984 से 986 कुल किता 13 रकबा 3.16 हैक्टेयर के सम्बन्ध में पारित अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 12/14 में निर्णय दिनांक 08.10.2015 को निरस्त किया जाकर उक्त संपूर्ण भूमि में देऊबाई पुत्री भगवान एवं श्रीमती सोसरबाई बेवा भगवान के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिया। उक्त निर्णय दिनांक 12.04.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेंटस् संख्या–1 व 2 उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 22.10.2018 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि के सिद्वान्तों के विपरित होकर निरस्त योग्य है। मृतक श्री भगवान ने अपीलान्ट को जाति रिवाज से गोद लिया था जिसमें रेस्पोडेंट की सहमति थी एवं बचपन से ही उसके साथ निवास कर सेवा चाकरी कर रहा है और उसकी सेवा–सुश्रुषा से ही संतुष्ठ होकर अपीलान्ट के पक्ष में वसीयतनामा भी निष्पादित किया जिस वसीयतनामें के आधार पर पर तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1318 को रद्द किया और निर्णय दिनांक 08.10.2015 से

नामान्तरकरण संख्या 1440 से अपीलान्ट के नाम उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई थी। रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विधि विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपील स्वीकार का नामान्तरकरण खारिज करने में कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 ने देरी से अपील पेश करने का कोई न्यायोचित कारण नहीं बताया, बाद उसके अपील स्वीकार कर निर्णय बिना किसी तर्क एवं सिद्वान्त के आधार पर पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयतनामे को नहीं माना जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेंटस् वसीयत को संदेहास्पद मानते है तो उसे उन्हें सिविल कोर्ट से निरस्त करवानी थी, जिस बाबत रेस्पोडेंट द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में वसीयत की वैधता पर संदेह करने का कोई औचित्य नहीं था और तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा वसीयत के बारे में जांच कर सम्पूर्ण तरीके से संतुष्ठ होने के उपरान्त भी उक्त आदेश पारित किया था, जिस आदेश को नहीं मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.04.2018 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने बाबत अनुरोध किया है। साथ ही तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के निर्णय मुकदमा संख्या–12/2014 दिनांक 08.10.2015 एवं उसके क्रम में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 1440 को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया हे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये–RRD 2012 P. 721, RRT 2015(2) P.1093, RRT 2004(1) P.381, RRT 2010(2) P. 1323, RRT 2016(1) P. 726, RRT 2017(1) P. 252.

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंटस–1 व 2 ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम अरनियापथ पटवार मण्डल अरनियापंथ की उक्त आराजीयात में स्वर्गीय श्री भगवान सुथार का 1/4 हक हिस्सा निहित था। श्री भगवान सुथार के दो वैधानिक वारिस उनकी पत्नि श्रीमती सोसरबाई एवं पुत्री देऊ बाई है। श्री भगवान सुथार की मृत्यु उपरान्त उसकी विधिक वारिसान उसकी पत्नि एवं पुत्री के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हुआ। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ ने विरासत के नामान्तकरण को निरस्त कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर निर्णय दिनांक 08.10. 2015 को पारित करने में भारी भूल की थी। विवादित भूमि पुश्तैनी एवं पैतृक आराजीयात का बिना बंटवारा कराये कोई भी खातेदार पुश्तैनी आराजीयात को वसीयत नहीं कर सकता है। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ ने विरासत के आधार पर भगवान के वारिसों के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया था। अधीनस्थ न्यायालय में वसीयतनामें की फोटो प्रति पेश की, उसको प्रर्दशित नहीं करवाया गया है, ना ही असल वसीयतनामा पेश हुआ है। फोटो प्रति पेश हुई उसके पृष्ठ भाग पर ईकरारनाम लिखा हुआ था जिस

पर बनी वसीयत फर्जी व बनावटी है। वसीयत में मृतक भगवान के अंगुठा निशानी को किसी से प्रमाणित नहीं करवाया गया है तथा यह वसीयत अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड वसीयत पर किसी प्रकार का कोई निर्णय तहसीलदार द्वारा कानूनन नहीं दिया जा सकता है। मृतक भगवान ने रामेश्वर को कभी भी गौद नहीं रखा है, ना ही रामेश्वर के पास कोई रजिस्टर्ड गोदनामा है, ना ही नोटरी से प्रमाणित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अनुसार मृतक भगवान को अधिकार नहीं था कि वह विवादित आराजीयात का वसीयतनामा कर सकें। अपीलान्ट द्वारा गलत कथन किया गया कि वह एक मात्र श्री भगवान का वारिस है, जबकि श्री भगवान सुथार के दो वैधानिक वारिस उनकी पत्नि श्रीमती सोसरबाई एवं पुत्री देऊ बाई है, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय के की जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालयों में कथित बयानों पर देऊबाई के हस्ताक्षर किये है जबकि अपील में हस्ताक्षर के बजाय अंगुठा लगाया है, जो सन्देहापद है। इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने भी विचार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारणों पर विचार कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 द्वारा अपीलान्ट के थाना अधिकारी, पुलिस थाना, शंभुपुरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 आईपीसी का प्रस्तुत किया है। उपरोक्त सभी तथ्यों की पूर्ण जांच एवं परिक्षण कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ ने रेस्पोडेंटस् संख्या–1 व 2 के पक्ष में निर्णय पारित किया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। अन्त में अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंटस् संख्या–1 व 2 ने निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.04.2018 को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया है।

RRT 2014(1) Page No. 196, RRD 1970 Page 548, RRT 2009(2) Page 988, RBJ 2008 Page 68, RRT 2003 Page 495, RRD 2005 Page 86, RRT 2003 (HC) Page 650, RBJ 2004 Page 611, RBJ 20015 Page 515, 521, RRT 2008 Page 241

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेखों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम अरनियापथ पटवार मण्डल अरनियापंथ की उक्त आराजीयात में स्वर्गीय श्री भगवान सुथार का पैतक हिस्सा निहित था। श्री भगवान सुथार के दो वैधानिक वारिस उनकी पत्नि श्रीमती सोसरबाई एवं पुत्री देऊ बाई है। श्री भगवान सुथार की मृत्यु उपरान्त तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा विधिक वारिसान की जांच कर उसकी पत्नि एवं पुत्री के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया व राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया। ग्राम पंचायत अरनियापंथ द्वारा जारी वारिसान प्रमाण में भी स्वर्गीय भगवान के वारिसान में श्रीमती देऊबाई के नाम का अंकन है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत करने पर तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ ने विरासत के नामान्तकरण को निरस्त कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर निर्णय दिनांक 08.10.2015 को पारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 08.10.2015 की पत्रावली के अवलोकन एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से ज्ञात होता है कि श्री रामेश्वर की ओर से एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार स्व. श्री भगवान का उसके अतिरिक्त कोई अन्य वारिस नहीं है, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट में मृतक भगवान के वारिसान में देऊबाई एवं सोसरबाई का नाम अंकित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध वसीयत नामा की प्रति उपलब्ध है, जो कि अनरजिस्टर्ड है। वकील रेस्पोडेंट ने दृढता से तर्क दिया कि अनरजिस्टर्ड वसीयत पर किसी प्रकार का कोई निर्णय तहसीलदार द्वारा कानूनन नहीं दिया जा सकता है। नामान्तकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसेडिंग है। नामान्तकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है ना ही उत्तराधिकार का कठिन विवाद्यक वसीयत या गोद नामान्तरकरण की कार्यवाही में निश्चय किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम को स्वीकार कर पूर्व की देरी की अवधि को कन्डोन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अनरजिस्टर्ड वसीयत एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर पूर्ण विवेचन कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 12/14 में निर्णय दिनांक 08.10.2015 को निरस्त किया जाकर विवादित आराजीयात से सम्बन्धित संपूर्ण भूमि में देऊबाई पुत्री भगवान एवं श्रीमती सोसरबाई बेवा भगवान के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिया।

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 12.04.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर